सं. ए.11011/23/2018-एन

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नर्सिंग प्रभाग

कमरा सं. 751- 'ए' विंग,

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक 28.09.2018

सूचना

यह मंत्रालय राजकुमारी अमृत कौर नर्सिंग कॉलेज, नई दिल्ली में मल्टी टास्किंग स्टाफ के पद के भर्ती नियमों में संशोधन करने के एक प्रस्ताव की जांच कर रहा है। इस संबंध में एक प्रारूप भर्ती विनियमावली तैयार की गई है और इसे संयुक्त सचिव (नर्सिंग), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अनुमोदित कर दिया है।

प्रस्ताव को संबंधित एजेंसियों को भेजने से पहले, इस मामले में सभी स्टेक होल्डर्स (भागीदारों) से टिप्पणियां, यदि कोई हो, आमंत्रित की जाती हैं। टिप्पणियां 10.10.2018 तक अधोस्ताक्षरी को कमरा सं. 751 ए' विंग, निर्माण भवन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली में प्रस्तुत की जा सकती है और इसकी सॉफ्ट प्रति rathibala19@gmail.com पर भेजी जा सकती हैं।

(डॉ. रति बालाचंद्रन)
सहायक महानिदेशक (नर्सिंग)
दूरभाष सं. 23061033

संलग्नक : यथोक्त।

(डा. रति बालाचंद्रन)
(Dr. RATHI BALACHANDRAN)
सहायक महानिदेशक (नर्सिंग)
Asstt. Director General (Nursing)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
Ministry of Health & F.W.
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

[भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

सं.ए. 11011/23/2018-एन

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 2018

सा.का.नि. .... (अ) राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और नर्सिंग महाविद्यालय नई दिल्ली (श्रेणी - IV पद) भर्ती नियम, 1973 को, जहां तक उनका संबंध **प्रयोगशाला परिचर, नैदानिक परिचर, वरिष्ठ प्रयोगशाला परिचर, भंडार परिचर, दफ्तरी, चपरासी, रसोइया, रसोईया-सह-बैरा, बैरा, मसालची, सफाईवाला, माली, चौकीदार, आया, चपरासी-सह-चौकीदार, माली-सह-चौकीदार, क्लीनर तथा क्लीनर-सह-परिचर** के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, **मल्टी-टास्किंग स्टॉफ,** राजकुमारी अमृत कौर नर्सिंग कॉलेज, लाजपत नगर, नई दिल्ली के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**
   (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजकुमारी अमृत कौर नर्सिंग कॉलेज, लाजपत नगर, नई दिल्ली (मल्टी-टास्किंग स्टॉफ) भर्ती नियम, 2018 होगा।
   (2) ये, राज्यपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।
2. अनुप्रयोग: ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम (1) में यथा निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान-** उक्त पदों की संख्या और **वेतनमान** वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि** - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
5. **निरर्हता - वह व्यक्ति -**
   i. जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है।
   ii. जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है। उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति** - जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचनी है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
7. **व्यावृति** - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करन अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
1	2	3	4	5	6	7
मल्टी टास्किंग स्टाफ	97* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिववीय	वेतन मैट्रिक्स का स्तर - 1	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष की वक्त **टिप्पणी:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती के मामले में आयु सीमा का निर्धारण करने की निर्णायक तिथि वह अंतिम तिथि होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय को उम्मीदवारों के नाम प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।	आवश्यक : (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह " ' विभागीय प्रोन्नति समिति: (पुष्टि हेतु प्रोन्नति के लिए विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : (1) धानाचार्य, आरएके नर्सिंग कॉलेज - अध्यक्ष (2) प-प्रधानाचार्य, आर.ए.के. नर्सिंग कॉलेज - सदस्य (3) सोशिएट प्रोफेसर, आर.ए.के. नर्सिंग कॉलेज - सदस्य (4) शासनिक अधिकारी, आर.ए.के. नर्सिंग कॉलेज - सदस्य (5) ार्यालय अधीक्षक, आर.ए.के. नर्सिंग कॉलेज - सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए. 11011/23/2018 एन]

(डॉ. रति बालाचंद्रन)
सहायक महानिदेशक (नर्सिंग)